இந்திய அரசு)



कर्मचारी राज्य बीमा निगम, (श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION, (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

(தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம்,



தொ. அ. கா. க. மருத்துவக்கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை, தொ. அ. கா. கழகம், கே.கே. நகர், சென்னை -78 (ஐஎஸ்ஒ 9001-2015 சான்றளிக்கப்பட்டது)/ **क.रा.बी.नि. चिकित्सा कॉलेज और अस्पताल,** कर्मचारी राज्य बीमा निगम, के.के. नगर, चेन्नई-78, (आई. एस. ओ. 9001-2015 प्रमाणित)/ **E.S.I.C. MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL,** E.S.I. CORPORATION, K.K. NAGAR, CHENNAI-78 (ISO 9001-2015 Certified) **M.S**: 044- 24893714, Fax: 044- 24891094 **Email**: ms-odcchennai@esic.nic.in, deanmc-kkn.tn@esic.nic.in Website: www.esic.gov.in, www.kknagarhospital.esic.gov.in, www.mcchennai.esic.gov.in

<u>परिपत्र / CIRCULAR</u>

विषय: मकान किराया भत्ता आहरित करने के लिए आवासीय आवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना - के संबंध में

Subject: Furnishing Residential Accommodation Certificate for drawing HRA – reg

संदर्भ: क. रा. बी. निगम तमिलनाडु क्षेत्रीय कार्यालय - परिपत्र दिनांक 07.09.2021

Ref: ESIC TN Rg. Office – Circular dated 07.09.2021

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, यह निर्देश दिया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम, के.के. नगर, चेन्नई के सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अनुबंध क और खा (जो भी लागू हो) में आवश्यक प्रमाण पत्र तुरंत प्रस्तुत करें।

With reference to the above captioned subject, it is directed that all employees of ESIC Medical College and Hospital, K K Nagar, Chennai, are requested to furnish required certificate as in Annexure A and B (whichever is applicable) immediately.

आवश्यक प्रमाण पत्र 12 अप्रैल 2025 को या उससे पहले नकद शाखा में जमा किया जाना चाहिए, जिसके विफल होने पर किसी भी अधिकारी का एचआरए जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, उक्त प्रमाण पत्र उन सभी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा जो हर साल अप्रैल महीने में अपने वेतन से एचआरए प्राप्त करते हैं।

The required certificate should be submitted to Cash Branch on or before <u>12th April 2025</u>, failing which HRA of any official will not be released. Further, the said certificate shall be submitted by all employees who draw HRA from their pay, every year of April month, without fail along with any proof of local residence to release HRA.

इसका कड़ाई से अनुपालन करना है। इसे अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जाता है

This is to be strictly complied with. This issues with the approval of Dean.

संलग्नक: जैसा कि ऊपर बताया गया है

Encl: As stated above

उप निदेशक (नकद)/Deputy Director (Cash)

अध्यक्ष के लिए/For Dean.

सेवा में /To:

- 1. सूचना पट्ट/Notice Board
- 2. शाखा का प्रमुख/ विभाग के प्रमुख/ कुटुबिनी कार्यालय सूचना के प्रसार के लिए HOB's/HOD's/Matron Office – for dissemination of information.

बैथ .फा. सं. Per File No:

अनुबंध-क Annexure – A

प्रमाण पत्र CERTIFICATE

(परिपत्र सं. सी-11/11/3/2002- सतर्कता दिनांक 16/4/2002 द्वारा परिचालित मुख्यालय अनुदेश सं: 3/2002 के अधीन यथा अपेक्षित As required under Headquarters Instruction No: 3/2002 circulated vide No. C-11/11/3/2002-Vig. Dated: 16/4/2002)

- मैं क. रा. बी. निगम/केंद्र सरकार/राज्य सरकार/ किसी स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम/अर्ध-सरकारी संगठन जैसे कि नगरपालिका/पोर्ट ट्रस्ट/राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम आदि द्वारा आबंटित आवासीय व्यवस्था में निवास कर रहा हूं। I am residing in the residential accommodation allotted to me by E.S.I Corporation/Central Govt./State Government/an autonomous Public Undertaking/Semi – Government organization such as a Municipality/Port Trust/Nationalised Banks, Life Insurance Corporation of India etc.
- 2. मैं निम्न संबंधी को आवंटित आवासीय व्यवस्था में निवास कर रहा हूँ।

I am residing in the residential accommodation allotted to the following relative: -

- (i) संबंधी (आबंटिती) का नाम और पदनाम Name of the relative (allottee) and Designation:
- (ii) आबंटीती के साथ संबंध
 Relationship with allottee:
- (iii) आबंटीती को आवासीय व्यवस्था के आबंटन की तारिक
 Date of allotment of Residential accommodation to allottee:
- (iv) आवासीय व्यवस्था आबंटित करने वाला कार्यालयOffice which has allotted the accommodation:
- (v) आवास का पता Address of the accommodation:
- 3. मैं अन्यथा मकान किराया भत्ता आहरित करने का हकदार नहीं हूं।

I am otherwise not entitled to draw HRA.

इसलिए, मेरे मामले में मकान किराया भत्ता आहरित करना आवश्यक नहीं है।

Therefore, HRA need not be drawn in my case.

दिनांक Date:

हस्ताक्षर SIGNATURE:

(कर्मचारी का नाम और पदनाम NAME AND DESIGNATION OF OFFICIAL):

प्रमाण पत्र CERTIFICATE

ANNEXURE – B

(परिपत्र सं. सी-11/11/3/2002- सतर्कता दिनांक 16/4/2002 द्वारा परिचालित मुख्यालय अनुदेश सं: 3/2002 के अधीन यथा अपेक्षित As required under Headquarters Instruction No: 3/2002 circulated vide No. C-11/11/3/2002-Vig. Dated: 16/4/2002)

मुझे क. रा. बी. निगम, सरकार इत्यादी द्वारा कोई आवासीय व्यवस्था आबंटित नहीं की गई है। मेरे पति/पत्नी को भी इसी स्टेशन में ऐसी कोई आवासीय व्यवस्था आबंटित नहीं की गई है। मैं अपने माता-पिता अथवा पुत्र अथवा पुत्री को आबंटित किए गए आवास में भी नहीं रह रहा/ रही हूं। मैं किराया -रहित आवास में किसी अन्य कर्मचारी के साथ भी नहीं रह रहा/ रही हूं। I have not been allotted any residential accommodation by E.S.I. Corporation, Govt. etc., My spouse has also not been allotted any such residential accommodation in the same station. I am also not residing in any residential accommodation allotted to my parents or son or daughter. I am also not sharing rent-free accommodation allotted to any other employee.

मैं मकान किराया भत्ते के लिए हकदार हूं । इसलिए मकान किराया भत्ता आहरित किया जाए । यदि, भविष्य में, मकान किराया भत्ता आहरित करने के लिए पात्र नहीं रहूंगा /रहूँगी तो मैं तत्काल इसकी सूचना कार्यालय को देने का वचन लेता/ लेती हूं और उस तारीख से मकान किराया भत्ता आहरित नहीं करूंगा / करूंगी I am entitled for HRA and, therefore, HRA may be drawn. If, in future, I become not eligible to draw HRA, I undertake to inform the office immediately and, will not draw HRA from such date.

दिनांक Date:

(कर्मचारी का नाम और पदनाम NAME AND DESIGNATION OF OFFICIAL)

टिप्पणी Note:

 मुख्य आकस्मिकताएँ जिनमें मकान किराया भत्ता आहरित नहीं किया जा सकता MAIN CONTIGENCIES IN WHICH HRA CANNOT BE DRAWN:

क. रा. बी. निगम का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी मकान किराया भत्ता आहरित करने का हकदार नहीं है, यदि वह निम्न में से है । No Officer/Official of the ESIC Corporation is entitled to draw HRA, if among others-

- उसे क. रा. बी. निगम /सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि द्वारा कोई आवासीय व्यवस्था आबंटित कि गई हो; अथवा He/She has been allotted any Residential accommodation by E.S.I Corporation Govt./Semi-Govt./autonomous body/Public Sector Undertaking etc.; or
- (II) वह किसी अन्य कर्मचारी के साथ किराया रहित आवास में रह रहा हो; अथवा He/She has been sharing a rent free accommodation allotted to another employee; or
- (III) उसके पति/पत्नी को उसी स्टेशन में ऐसे किसी संगठन द्वारा आवासीय व्यवस्था आबंटित की गई हो । अथवा Residential accommodation has been allotted by any such organization to his/her spouse in the station.
- (IV) उसे एक सप्ताह पहले आवासीय व्यवस्था आबंटित की गई हो किंतु उसके द्वारा अभी तक कब्जा नहीं लिया गया हो । अथवा Allotment of Residential accommodation has been made a week back which has not so far been taken possession of by him/her; or
- (V) वह क. रा. बी. निगम द्वारा प्राधिकृत पट्टे आवास में रह रहा है। He/She is residing in leased accommodation, authorized by E.S.I. Corporation.
- 2. यह प्रमाण पत्र प्रत्येक अधिकारि और कर्मचारी द्वारा क. रा. बी. निगम में पहली नियुक्ति पर वेतन आहरित करने के लिए प्रत्येक वर्ष अप्रैल में तथा बाद में जब वह मकान किराया भत्ता आहरित करने का हकदार हो जाता है (यदि वह मानता है कि वह मकान किराया भत्ता आहारित करने का हकदार है)। दिया जाना आवश्यक है। This Certificate is to be given by every employee (including officers) for drawal of pay on first appointment in E.S.I. Corporation, in April every year and subsequently when he/she becomes entitled to draw HRA (if he/she thinks he/she is eligible to draw HRA).